न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व अपील :: 53/2019 ::
आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 2019/00169 ::

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
लक्ष्मणराम गहलोत पुत्र सांवलराम जाति माली, निवासी दिल्ली दरवाजा, सोजत सिटी, तहसील सोजत जिला पाली		1. तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 2. भू अभिलेख निरीक्षक, कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गोरादान आशिया
रेस्पोडेण्टगण की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक : 13/03/2020

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के अन्तर्गत धारा 86(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र 08/2019 बअनवान सरकार जरिये तहसीलदार मा.ज. बनाम लक्ष्मणराम गहलोत में पारित आदेश दिनांक 06.08.2019 के विरूद्ध पेश किया है। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, अपीलाधीन रेकर्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि मौजा ग्राम कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा नम्बर 247 में से उसके रेकर्डेड खातेदार देवेन्द्र कुमार उर्फ देव्यानी पुत्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत से उपरोक्त आराजीयात में उनका 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 16.11.2017 को खरीद कर कब्जा काश्त मौके पर प्राप्त किया, तब से आज दिनांक तक अपीलाण्ट बहैसीयत मालिक के काबिज होकर भूमि का उपयोग–उपभोग कर रहा है। इसके पश्चात अपीलाण्ट ने तहसीलदार मा.ज. कार्यालय में नामान्तरकरण दायर करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर प्रार्थना पत्र संख्या 2/2108 दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रकरण में सम्पूर्ण कानूनी प्रकिया अपनाकर दिनांक 26.02.2019 को निर्णय पारित किया गया। जिसके द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित किए तथा जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 3182 दिनांक 10.05.2019 दर्ज किया गया। इसके पश्चात भू. अभिलेख निरीक्षक कण्टालिया ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 18.06.2019 को तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के समक्ष पेश किया, जिस पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने प्रकरण संख्या 02/2018 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2019 के विरूद्ध निर्णय पारित होने के लगभग 4 माह पश्चात रिव्यू प्रार्थना पत्र दर्ज किया। लेकिन भू. अभिलेख निरीक्षक जो कि मूल प्रकरण में पक्षकार नहीं थे, उनके प्रार्थना पत्र पर प्रकरण बिना धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के ही प्रकरण दर्ज कर दिया गया तथा जबकि विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी आदेश के रिव्यू हेतु म्याद 30 दिवस है तथा 30 दिवस पश्चात किसी भी आवेदन पत्र के साथ म्याद के संबंध में अनुतोष चाहिए तो धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश करना होता है। लेकिन रिव्यूकर्ता द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया तथा न ही मातहत अदालत ने अपने रिव्यू प्रार्थना पत्र के निर्णय में म्याद के संबंध में कोई आदेश पारित किया है। जिससे जैर अपील रिव्यू आदेश प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध होने

अति. जिला कलेक्टर, पाली

से काबिल निरस्त है। तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा निर्णय पारित होने के पश्चात नामान्तरकरण स्वीकृत किया जा चुका था, जिसे उन्होंने इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन के न्यायालय में ग्राम कण्टालिया के खसरा नम्बर 247 के संबंध में सिलींग वाद संख्या 05/1970 विचाराधीन है, जबकि उक्त वाद की जानकारी तहसीलदार को पूर्व से ही थी, क्योंकि वे तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के साथ भूमिधारी भी है। रिव्यू सिर्फ इसी आधार पर किया जा सकता है कि न्यायालय के संज्ञान में कोई तथ्य नहीं हो, लेकिन हस्तगत प्ररकण में ऐसा नहीं है। इसके पश्चात उनको उक्त आदेश या नामान्तरकरण के संबंध कोई भी उज्र–एतराज था, तो अपीलाण्ट न्यायालय में अपील ही उसका उपचार था। रिव्यू (पुनर्विलोनक) का दायरा अत्यंत ही सीमित है, इसके द्वारा कानूनी त्रुटि या ऐसा आदेश जिसमें Some mistake or error apparent on the face of the record परिलक्षित हो तो उसमें रिव्यू के जरिये संशोधन किया जा सकता है, किसी आदेश को परिवर्तित या बदलकर स्वीकृत को अपास्त नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 प्रकरण संख्या 02/2018 में पक्षकार नहीं था, इस कारण उन्हें रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं था। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील प्रकरण संख्या 08/2019 में पारित निर्णय दिनांक 06.08.2019 को निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने तथ्यों की ताईद में न्यायिक दृष्टान्त पेश किए यथा 2016(1) RRT 337 एवं 2016(2) /RRT 1419 पेश किए।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा अपने आदेश दिनांक 26.02.2019 की पालना में पारित नामान्तरकरण संख्या 3182 को, जरिये रिव्यू प्रार्थना पत्र के निरस्त किया है। वह न्यायोचित है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 86(2) के तहत कोई भी राजस्व अधिकारी अपने द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित होने पर, वह किसी भी समय उक्त आदेश को रिव्यू के द्वारा सुधार सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं मातहत अदालत की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का ससम्मान आद्योपांत परिशीलन किया गया। अपीलाण्ट ने ग्राम कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा नम्बर 247 में से उसके रेकर्डेड खातेदार देवेन्द्र कुमार उर्फ देव्यानी पुत्री पृथ्वीसिंह जाति राजपूत से उपरोक्त आराजीयात में उनका 1/2 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 16.11.2017 को खरीद किया, जिसका नामान्तरकरण दर्ज करवाने बाबत उन्होने तहसीलदार मा.ज. के न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया, जिस पर प्रार्थना पत्र संख्या 2/2108 दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 26.02.2019 को निर्णय पारित कर अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए गए, जिसकी पालना में अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 3182 दिनांक 10.05.2019 दर्ज किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक कण्टालिया के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने अन्तर्गत धारा 86(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पुनरावलोकन प्रकरण संख्या 8/2019 दिनांक 18.06.2019 को दर्ज किया। जिसमें पारित निर्णय दिनांक 06.08.2019 अनुसार तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने प्रकरण संख्या 2/2018 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2019 की पालना में दर्ज नामान्तरकरण संख्या 3182 को निरस्त कर दिया। रिव्यू प्रार्थना पत्र को स्वीकार किय जाने का एक मात्र आधार यही हो सकता है कि रिकॉर्ड पर कोई भूल स्पष्टतया परिलक्षित हो। नये तथ्यों के आधार पर या जिन तथ्यों का निस्तारण हो चुका है, उन्हीं को फिर रिव्यू किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने का कोई आधार नहीं हो सकता तथा रिव्यू एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बन सकती है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन ने अपने द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण इस आधार पर निरस्त किया कि उपखण्ड अधिकारी मारवाड़ जंक्शन के न्यायालय में ग्राम कण्टालिया के खसरा नम्बर 247 के संबंध में सिलिंग वाद संख्या 05/1970 विचाराधीन है, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी तथा निर्णय पारित होने के पश्चात भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर उक्त वाद के संबंध में जानकारी हुई। भू अभिलेख निरीक्षक कण्टालिया उनके अधिनस्थ कार्मिक है एवं इन्होनें ही नामान्तरकरण की जांच भी की है। इसके साथ तहसीलदार स्वयं भूमिधारी है तथा उनको उपखण्ड न्यायालय में सिलिंग वाद लम्बित हो, इसकी जानकारी नहीं हो, उनका यह तथ्य तर्कसंगत नहीं है। रिव्यू सिर्फ इसी आधार पर किया जा सकता है कि न्यायालय के संज्ञान में कोई तथ्य नहीं हो या उक्त तथ्य की जानकारी उनको निर्णय पारित किए जाने के पश्चात जानकारी में आया हो, लेकिन हस्तगत प्ररकण में ऐसा नहीं है। इसके बावजूद भी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को अपने निर्णय से कोई उज्र–एतराज या शिकवा था, तो वे उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र थे, लेकिन उन्होंने अपील न कर अपने निर्णय का पुनरावलोकन (रिव्यू) करने का रास्ता अपनाया, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। रिव्यू में केवल सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में दिए गए प्रावधानों की सीमा तक ही विचार किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए. आई. आर. 1995 एस.सी. पेज 455 में इस आशय का मत प्रतिपादित किया है :

(B) Civil P.C. (5 of 1908) O-47, R.1 - Review – Limits of exercise of Power – Review Court not to act as Appellate Court.

(B) Civil P.C. (5 of 1908) O-47, R.1 – Review – "error apparent on the face of record"- Means an error which strikes one on mere looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions.

इसी संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रकरण संख्या 662/2001 उन्वनी सुरेन्द्रकुमार वकील व अन्य बनाम चीफ एक्जीटिव ऑफिसर एम.पी. व अन्य जो आ.आर.टी. 2005 (1) पेज 545 पर उद्धरित है, में पारित में यहां तक मत प्रतिपादित किया है कि Code of Civil Procedure – Order 47 Rule 1 – Review – point that has been held & decided – View taken in the judgment may be erroneous but cannot be a ground for review. उपरोक्तानुसार स्पष्ट है कि निर्णय त्रुटिपूर्ण "erroneous" होने की स्थिति में भी यह नजरसानी का आधार नहीं हो सकता है। इस संबंध में विद्धान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त यथा 2016 (2) RRT Page 1419 Dharm singh vs State by Board of Revenue – Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 86-Code of Civil Procedure, 1908-Order 47, Rule 1-Review-Error must be apparent on face of the record for review-all the points raised in the review have already appreciated properly-No error in the judgment-Erroneous judgment cannot be a ground for review-Held, petitioner has failed to establish the case for review & dismissed. And 2016(1) RRT page 337 Indrajeet Singh vs State by Board of Revenue – Rajasthan Land Revenue Act, 1956-Sec. 86-Review-Land recorded as 'Bilanam' during settlement-very limited scope of review-Power of review can be exercised when there is an error apparent in the judgment-No error apparent on record-Held, Review Petition is liable to be dismissed. हस्तगत प्रकरण पर स्पष्टतः चस्पा होते है। उपरोक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि रिव्यू को दायरा अत्यन्त ही सीमित है तथा निर्णय त्रुटिपूर्ण "erroneous" होने की स्थिति में भी यह नजरसानी (रिव्यू) उसका उपचार नहीं हो सकता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के आदेश दिनांक 06.08.2019 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन के रिव्यू प्रकरण संख्या 08/2019 आदेश दिनांक 06.08.2019 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को मूल रेकर्ड पालनार्थ लौटाया जावें।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर,पाली

निर्णय आज दिनांक 13/3/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर,पाली